

सहायक नगर आयुक्त  
 TI 125/18

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/4/22	<p>पत्रावली पैदा हुई। प्राणी की आवाज से कोई उपस्थित नहीं बसत -          अदालत प्राणी व उनके अधिकारियों को बार-बार आवाज लगाई गई - उनकी आवाज से कोई उपस्थित नहीं होने से प्राणी को प्रकृष्ट अफत-दाजरी अफत परवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली को सब एजेंसिज को देकर देना जो वही जगह हो वहां तक तक मिले एफतर हो। ✓</p> <div data-bbox="989 1030 1308 1209" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>सहायक नगर आयुक्त              नयपुर विभाग</p> </div>

